कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

क्रमांक – 5677/स्था/राज/द.चि.म./2023 दतिया, दिनांक – 14/07/2023

//अनुशेष–Addendum//

कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र. द्वारा विज्ञप्त कमांक 2081/स्था/राज/द.चि.म./2023, दतिया दिनांक 24/03/2023 के माध्यम से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया हेतु स्वीकृत पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से करने हेतु इच्छुक एवं पात्र चिकित्सा शिक्षकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थें। म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश कमांक एफ2–45/2010/1/55, भोपाल दिनांक 19/05/2023 द्वारा शासकीय चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27/12/2022 में आंशिक संशोधन कर मेरिट निर्धारण हेतु नवीन प्रोराटा का निर्धारण किया गया है।

अतः वर्तमान में प्रचलित उपरोक्त विज्ञप्ति में मेरिट निर्धारण हेतु संदर्भित नवीन प्रोराटा जो कि संलग्न है, का उपयोग किया जायेगा। इस कम में विज्ञप्त कमांक 2081/स्था/राज/द.चि.म./2023, दतिया दिनांक 24/03/2023 के लिए अनुशेष जारी कर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि अनुशेष जारी दिनांक से 07 दिवस की वृद्धि करते हुए नवीन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20/07/2023 तक निर्धारित की जाती है। एवं यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही होगी, परन्तु यदि वह नवीन प्रोरेटा अनुसार शैक्षणिक योग्यताओ/अन्य उपलब्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते है, तो निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर सकते है। नवीन आवेदन/पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यताओ/अन्य उपलब्धि संबंधी दस्तावेज अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के आधिकारिक की ई.मेल आई.डी– datiamedicalcollege@gmail.com पर एवं रजिस्टर डाक द्वारा अधिष्ठाता कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया पिन कोड 475661 पर दिनांक 20/07/2023 शाम 5:00 बजे तक भेजना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– मेरिट निर्धारण हेतु शासन द्वारा निर्धारित नवीन प्रोराटा संबंधित आदेश।

नोट–1. आवेदन शुल्क एवं अन्य शर्ते जारी विज्ञप्ति अनुसार ही रहेगी

2. समय सीमा को देखते हुए विज्ञप्ति अनुसार आवेदन शुल्क रू. 1000/– (अनारक्षित) एवं रू. 750/– (आरक्षित) को निम्नानुसार –

संस्था का खाता	–	Government Medical College Autonomous Society Datia
Account No.	–	0638001700062928
IFSC Code	–	PUNB0063800

में ऑन लाईन पेमेंट के माध्यम से कर भुगतान की जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

3. निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(श्रीमान आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग, एवं अध्यक्ष, स्वशासी समिति शा.चि.म. दतिया द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// संशोधित आदेश //

भोपाल, दिनांक– 19/05/2023

कमांक एफ 2–45/2010/1/55:– राज्य शासन एतद् द्वारा चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.12.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश चिकित्सा सेवा राजपत्रित भर्ती नियम 2023 तथा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 के अनुसार भर्ती की प्रकिया सीधी भर्ती से किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट– "अ", "ब", "स" एवं "द" रिक्त पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः– परिशिष्ट– "अ", "ब", "स" एवं "द" ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
19.5.2023
(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक– 19/05/2023

पृ.कमांक एफ 2–45/2010/1/55

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. निज सचिव, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
5. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. संभागायुक्त, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया, छिंदवाड़ा।
10. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर,विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

19.5.2023
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

ध्वज–अ

अधिष्ठाता (Dean) पद पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 20 अंक	कुल 30 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक
		शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक अधिकतम– 20 अंक	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार अधिष्ठाता के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव (सह प्राध्यापक/प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे अधिकतम– 30 अंक	शोध पत्र प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार – राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार मिलने पर 02 अंक। अधिकतम – 10 अंक	*प्रशासकीय अनुभव – मान्यता प्राप्त संस्थाओं में किये गये प्रशासकीय कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये 02 अंक। अधिकतम – 20 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम– 20 अंक	(...../100)
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रशासकीय अनुभव – अधिष्ठाता/अधीक्षक (चिकित्सालय)/उप संचालक संचालनालय चिकित्सा शिक्षा या उससे वरिष्ठ स्तर के संचालनालय के पद ही मान्य होंगे।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

ध्वज–ब

सीधी भर्ती प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश / मापदण्ड
अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.एस.सी. (MBBS/BDS/B.Sc) उत्तीर्ण होने पर 10 अंक। 2. किसी भी विषय में प्रत्येक अतिरिक्त attempt होने पर 02 अंक कम किये जायेंगे) अधिकतम– 10 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS/M.Sc) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक अधिकतम– 20 अंक	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव (सह प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध पत्र प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार – राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार मिलने पर 02 अंक। अधिकतम – 10 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम– 20 अंक	(..../100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

ध्वज–स

सीधी भर्ती सह प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश / मापदण्ड

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (..../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. / बी.एस.सी. (MBBS/BDS/B.Sc) उत्तीर्ण होने पर 10 अंक। 2. किसी भी विषय में प्रत्येक अतिरिक्त attempt होने पर 02 अंक कम किये जायेंगे) अधिकतम– 10 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. पी.जी. पाठ्यक्रम (MD/MS/DNB/MDS/M.Sc) उत्तीर्ण होने पर 20 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 20 अंक	शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शोध पत्रों के प्रकाशन के अतिरिक्त शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक अधिकतम– 20 अंक	शैक्षणिक अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार सह प्राध्यापक के पद की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव से अधिक शैक्षणिक अनुभव (सहायक प्राध्यापक / सह प्राध्यापक) के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष को 02 अंक प्राप्त होंगे। अधिकतम– 20 अंक	शोध पत्र प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार – राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र के प्रत्येक प्रस्तुतीकरण को पुरस्कार मिलने पर 02 अंक। अधिकतम – 10 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम– 20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

ध्वज–द

सीधी भर्ती सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु महत्व गणना दिशा–निर्देश/मापदण्ड

अधिकतम अंक 100

क्र.	प्रत्याशी का नाम	कुल 25 अंक	कुल 25 अंक	कुल 20 अंक	कुल 10 अंक	कुल 20 अंक	कुल प्राप्त अंक (..../100)
		यू.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.एस.सी. (MBBS/BDS/B.Sc) निर्धारित विषय में उत्तीर्ण होने पर 25 अंक। 2. निर्धारित विषय में प्रत्येक अतिरिक्त attempt होने पर 02 अंक कम किये जायेंगे। अधिकतम– 25 अंक	पी.जी. पाठ्यक्रम अंक – 1. एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.एस.सी./एम.डी.एस. (MD/MS/DNB/M.Sc/MDS) उत्तीर्ण होने पर 25 अंक। 2. प्रत्येक अतिरिक्त attempt के लिए 02 अंक कम होंगे अधिकतम– 25 अंक	शोध अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड अनुसार शोध प्रकाशन के लिए प्रत्येक शोध पत्र के 02 अतिरिक्त अंक। अधिकतम– 20 अंक	कार्य अनुभव – एन.एम.सी. के मापदण्ड के अनुसार न्यूनतम 01 वर्ष से अधिक सीनियर रेसीडेंट/सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के 2 अंक। (डी.एन.बी. समकक्षता के लिये की गई अतिरिक्त एक वर्ष की सीनियर रेसीडेंसी के कोई अंक देय नही होंगे) अधिकतम– 10 अंक	*साक्षात्कार अधिकतम – 20 अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय में ऐकेडमिक गतिविधियों को प्रमुखता दी जानी चाहिये।
2. यदि निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त उम्मीदवार के पास कोई प्रशिक्षण/संबंधित विषय या अन्य अनुभव है तो ऐसे अनुभव/योग्यता जो वह साक्षात्कार कमेटी के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, का उल्लेख पूर्व से ही आवेदन पत्र में करेगा, जिससे उन्हें साक्षात्कार कमेटी के समक्ष रखा जा सके।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner